वहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

11/9/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश प्रार्थना-पत्र आदेश 22(10) जा०दी० व आदेश 1(10) व सपठित धारा 151 सी.पी.सी हेतु हमारे समक्ष पेश की गई। बहुलाय फारिकैन उपर है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया।

प्रार्थी गोरधन पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी खारखेड़ा तहसील - बहरोड़ ने यह प्रार्थना-पत्र O22(10) जा०दी व आदेश 1(10) सपठित धारा 151 पेश करके निवेदन किया कि वादी करण सिंह फौत हो गया है जिसकी आराजी को 1987 से मैं वादी कृषि जोत कर रहा हुँ। मौके पर काबिज हुँ। प्रार्थी करण सिंह के वारिसान की जानकारी बाबत उक्त प्रकरण के पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

बयान का वर्णन होगा। या अनेक
पावर ऑफ अटोर्नी लिखवाकर प्रकरण
में पेश कर देगा। इसलिए प्रकरण
में मृतक करणसिंह के वारिसान को
रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र
पेश कर देगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को वादी की
जैल में दर्ज किया जाकर प्रकरण में
पैरवी करने की इजाजत दी जावे।
तथा अंतिम निर्णय पारित किया जावे।
प्रार्थना-पत्र की प्रति वकील
प्रतिवादी को दी गई। वकील प्रतिवादी
नं. 1 ने जवाब पेश किया करण सिंह
द्वारा ख०नं० 99 रकबा 0.02 है० व
100 रकबा 0.32 है० जरिये रजिस्टर्ड
बयनामा भोलूराम पुत्र पोकरराम जाति
चमार निवासी खानखेड़ा से दिनांक
16/6/1986 को खरीद किया था व
ख०नं० 109 रकबा 0.34 जरिये रजि०
बयनामा बनवारी पुत्र पीलराम जाति
चमार निवासी खानखेड़ा से दिनांक
16/6/1986 को खरीद किया था। इस
प्रकार करण सिंह ने कुल 0.68 है० रकबा
खरीद किया है। उसी अनुसार वर्तमान
में राजस्व रिकार्ड में करणसिंह के
नाम ख०नं० 99 रकबा 0.02 है०, 100
रकबा 0.32 है० व 109 रकबा 0.34 है०
दर्ज है। जिसमें कई खातेदार दर्ज है।
करणसिंह का वादी का प्रतिवादी नं. 1
की आराजी से कोई संबंध व सरोकार
किसी प्रकार का नहीं है। करणसिंह की
दिनांक 04/9/2021 को मृत्यु हो चुकी है।
जिसकी वसीयत मानसिंह गोवर्धन पुत्र
बहादुर जाति अहीर नि० खानखेड़ा के
नाम है। करणसिंह के नाम दर्ज आराजी से
लगती हुई निज प्रतिवादी 2 की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	जो इस ...

माल खसरा नं० 108 स्थित है। जिस पर
गोवर्धन जबरन रूप से कब्जा करना
चाहता है। इस कारण से उसने मृतक
कर्ण सिंह का फर्जी मुख्तारनामा
तैयार करवाकर न्यायालय श्रीमान से
झूठा वाद-पत्र व स्थगन प्रार्थना-पत्र
पेश कर दिनांक 09/5/2025 को
स्थगन आदेश न्यायालय को धोखा
में रखकर प्राप्त कर लिया जबकि
कर्ण सिंह का मेरे रकबा कम नहीं
हुआ है व अब इस प्रकरण में वादी
को जेल में परेशान करने के लिए
खिलाफ कानून झूठा दावा पत्र
पेश किया गया है। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन है कि गोवर्धन द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र को खारिज कर दावा झूठी
खर्चा पूर्व खारिज फरमाया जाने की
कृपा करें।

उभय वकलाय की बहस
सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन
किया गया। मृतक करण सिंह ने
प्रार्थी गोरधन पुत्र रघुवीर जाति अहीर
नि० खातन खेड़ा त० बहरोड़ के पक्ष में
एक मुख्त्यारनामा आम दिनांक 31/3/2013
को नोटेरी पब्लिक से नोटेरी लिखवाया
था। उक्त करणसिंह दिनांक 04/9/21
को फौत हो चुका है। जिससे दिनांक
31/3/2013 का तहरीर मुख्त्यारनामा आम
का प्रभाव नहीं रहा है। मुख्त्यारनाम आम
श्री गोरधन अब उक्त मृतक करणसिंह
के संबंध में किसी प्रकार की अधिकारिता
नहीं रखता है। जिस कारण से मुख्त्यार
आम गोरधन वाद लाने का अधिकार
नहीं है।

अतः प्रार्थी गोरधन पुत्र
रघुवीर जाति अहीर निवासी खातनखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
..., रोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

तहसील-बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना
पत्र आदेश 22 नियम 10 व आदेश
01 नियम-10 अन्तर्गत धारा 151
सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। मूल
काश्तकार दिनांक 04/9/2021 को फौत हो
चुके है उसकी मृत्यु के बाद उत्पादकर्ता
गोरधन यह वाद लाने का अधिकारी
नहीं है। अतः यह वाद-पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल
दफ्तर नम्बर तकमील की जावे।
आज दिनांक 11/9/2025 को यह निर्णय
मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)